



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना: अवसर एवं चुनौतियाँ

सुनील कुमार पाण्डेय

असि. प्रोफेसर (शिक्षा संकाय)

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई, उ. प्र.

skpandey.gcic@gmail.com

सारांश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के साथ ही उनमें विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी क्षमता एवं कौशलों का विकास कर सम्मानजनक जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। किसी भी व्यक्ति में किसी व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित विशिष्ट कौशलों, दक्षता तथा क्षमता से युक्त बनाने के लिए कक्षा-कक्ष शिक्षण तथा हस्त कौशलों के प्रशिक्षण का संयुक्त अनुदेशनात्मक कार्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। प्रस्तुत शोधपरक निबन्ध में भारत के वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा के स्वरूप के आलोक में एन0 ई0 पी0 2020 में प्रकल्पित एवं प्रस्तावित व्यावसायिक शिक्षा के नवीन स्वरूप की उपयुक्ता, लभ्यता तथा संभावित अवसर एवं चुनौतियों की विवेचना की गयी है।

मुख्य शब्द: व्यावसायिक, कौशल, उद्योग, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण।

प्रस्तावना:

शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण गत्यात्मक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों एवं बीजभूत क्षमता का विकास किया जाता है। राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक प्रगति तथा विकास के लिए यह आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है कि इसके सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। यह राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा सामाजिक न्याय से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आशय है कि यह व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के साथ ही उनमें विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी क्षमता एवं कौशलों का विकास कर सम्मानजनक जीविकोपार्जन के योग्य बना सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति में किसी



व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित विशिष्ट कौशलों, दक्षता तथा क्षमता से युक्त बनाने के लिए कक्षा-कक्ष शिक्षण तथा हस्त कौशलों के प्रशिक्षण का संयुक्त अनुदेशनात्मक कार्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम सामान्य शिक्षा संस्थानों से इतर व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों यथा- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक कालेज एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन महाविद्यालयों में चलाये जाते हैं। कुछ सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में भी विशिष्ट ट्रेड से सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम संचालित होते हैं।

प्राचीन समय से लेकर विगत कुछ वर्षों तक अपने देश के लोग परम्परागत रूप से अपने खानदानी व्यवसायों को ही अपनाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती थी क्योंकि प्रत्येक परिवार के बालक एवं नवयुवक अपने पारिवारिक व्यवसाय में बचपन से हाथ बटाते हुए उस व्यवसाय विशेष में पारंगत हो जाया करते थे। हमारे देश में औपचारिक रूप से संस्थागत व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान अंग्रजों द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने का सुझाव भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन)- 1882 ने दिया था। हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दो प्रकार के पाठ्यक्रम को संचालित करने की संस्तुति दी थी- (1) साहित्यिक तथा (2) व्यावसायिक। भारतीय शिक्षा आयोग के पश्चात् हर्टाग कमेटी (1929) ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अनेक व्यवसायिक व औद्योगिक विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। गाँधीजी द्वारा वर्धा शिक्षा योजना (1937) प्रस्तुत की गयी, इसी को बेसिक शिक्षा का नाम दिया गया। बेसिक शिक्षा योजना शिल्प आधारित शिक्षा पद्धति थी क्योंकि इसमें सर्वाधिक महत्व हस्तकौशल एवं उद्योगों को दिया गया था। बेसिक शिक्षा में प्रतिदिन के शिक्षण के लिए निर्धारित कुल समय 5 घंटा 30 मिनट में तीन घंटा बीस मिनट का समय हस्तकौशल एवं शिल्पों के लिए निश्चित की गयी थी। वुड एवं ऐवट रिपोर्ट-1937 ने दो प्रकार के विद्यालयों के स्थापना का सुझाव दिया- (1) सामान्य शिक्षा के विद्यालय तथा (2) व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। रिपोर्ट में सामान्य शिक्षा के सभी विद्यालयों में रचनात्मक हस्तकार्य एवं ललित कलाओं को पाठ्यक्रम अंग बनाने का सुझाव दिया गया था। वुड एवं ऐवट रिपोर्ट में चार प्रकार के निम्न पूर्णकालिक व्यवसायिक संस्थानों की स्थापना का सुझाव दिया गया-

- (1) व्यापारिक विद्यालय (Trade School)- प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, अवधि 4 वर्ष।
- (2) निम्न व्यवसायिक विद्यालय (Jr. Vocational School)- उच्च प्राथमिक पास विद्यार्थियों के लिए, अवधि 3 वर्ष।
- (3) उच्च व्यवसायिक विद्यालय (Sr. Vocational School)- हाई स्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, अवधि 2 वर्ष।
- (4) प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (Technical Collages)- इण्टर पास छात्रों के लिए, अवधि 3 से 4 वर्ष।

सार्जेण्ट योजना में भी इन पाठ्यक्रमों को साहित्यिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम का नाम दिया गया। मुदालियर आयोग (1954-53) ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों में विभिन्नता का सुझाव दिया। विद्यालयों में पाठ्यक्रमों में विविधिकरण से आयोग का तात्पर्य माध्यमिक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न प्रकार



के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने से था। विविध पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सामान्य माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया गया। इन सुझावों के आधार पर अनेक बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की गयी। भारत की सरकार ने यह कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) से प्रारम्भ कर दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में 1900 सामान्य माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित किया गया। शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा पाठ्यक्रमों की विभिन्नता के स्थान पर शिक्षा में व्यवसायीकरण (Vocationalization) की संस्तुति दी गयी। इसके लिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा नवीं व दसवीं) के लिए कार्यानुभव तथा + 2 स्तर के लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रम क्रमशः सामान्य एवं व्यवसायिक को प्रारम्भ करने का सुझाव दिया गया। आयोग के अनुसार कार्यानुभव के अन्तर्गत विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कार्यशालाओं, व्यावसायिक संस्थानों एवं कृषि फार्मों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इस सुझाव को सिद्धान्तः मान लिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस पर गम्भीरता से कार्य करने पर बल प्रदान किया गया तथा यह परिकल्पना की गयी कि कार्यानुभव से विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न किया जा सकता है एवं व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थी स्वरोजगार या किसी व्यावसायिक संस्थान में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्ययोजना में 1995 तक पच्चीस प्रतिशत छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा में लाने का लक्ष्य रखा गया था। सी0 बी0 एस0 ई0 द्वारा शैक्षिक सत्र 2007-08 में कक्षा 11वीं से वित्तीय व मार्केटिंग प्रबन्धन तथा शैक्षिक सत्र 2010-11 से मॉस मीडिया, जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी तथा होटल मैनेजमेण्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी को कुछ चयनित विद्यालयों में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किया। भारत की सरकार ने 2015 में स्कील इंडिया मिशन को एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य युवाओं में वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप आवश्यक कौशलों का विकास करना था। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ भारतीय नौजवानों को विभिन्न कौशलों से युक्त करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के पुनरोद्धार पर व्यापक मंथन किया गया है। एन0 ई0 पी0 2020 व्यावसायिक शिक्षा में नवीनीकरण एवं सुधार लिए विस्तृत एवं व्यापक नीतिगत दस्तावेज है। इसमें व्यवसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में लाने की बात कही गयी है। अगले दशक तक व्यावसायिक शिक्षा को सभी शैक्षणिक संस्थानों में चरणबद्ध ढंग से मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण:

पिल्लज एम0 एवं रिगेल जे0 (2021), ने 'भारत में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण: संभावना एवं चुनौतियाँ' में इस दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है कि भारत के तीव्र आर्थिक विकास एवं दक्ष व कुशल कार्मिकों की कमी ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित किया है। विगत दशक से ही कौशल विकास सरकार का प्रमुख एजेण्डा रहा है। परिणामस्वरूप व्यवसायिक शिक्षा के



संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास से सम्बन्धित मुद्दे सरकारी नीतियों एवं योजनाओं में परिलक्षित होते रहे हैं। इस निबन्ध में लेखक ने भारत के औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (VET) प्रणाली के मुख्य स्तम्भों का पुनरावलोकन किया है तथा इसके पुनर्गठन व उन्नयन से सम्बन्धित नीतियों व पहलों का विवेचन किया है। अन्त में विभिन्न सुव्यवस्थित आयामों के आधार पर इस क्षेत्र के भावी संभावनाएँ एवं विकास को स्पष्ट किया गया है।

जयरामन ए0 के0 (2020), के शोधपरक निबन्ध का शीर्षक 'भारत में व्यावसायिक शिक्षा की सार्थकता,' है। लेखक के अनुसार किसी भी देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने तथा आर्थिक विकास में व्यवसायिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसा विकासशील देश ने व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में एक लम्बा रास्ता तय किया है। बदलते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में तकनीकी परिक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए व्यावसायिक शिक्षा के नाजुक अंगों का उपचार आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य हो गया है जिससे कि इसको अधिक प्रासंगिक, समावेशी एवं सृजनशील बनाया जा सके। भारत की सरकार इन बातों से अवगत है तथा इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम पहले से ही उठाना प्रारम्भ कर दिया है। व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को आधार एवं गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक योग्यता फ्रेमवर्क की स्थापना की गयी है।

कुमार एस0 एवं अन्य (2019), के शोध पत्र का शीर्षक 'भारत में व्यवसायिक प्रशिक्षण: प्रतिभागिता के निर्धारक एवं पारिश्रमिक पर प्रभाव' था। इस अनुसंधान में शोधकर्ताओं ने निम्न उद्देश्य निर्धारित किया था –

1. उन कारकों की पहचान करना जो व्यवसायिक प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति की प्रतिभागिता को प्रभावित करता है।
2. व्यवसायिक प्रशिक्षण का व्यक्ति के मजदूरी पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्वेषण करना। निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोधकर्ताओं द्वारा सांख्यिकी विधि के रूप में क्रमशः लॉगिट तथा मल्टी-नामिनल लॉगिट एवं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण से प्राप्त परिणाम के आधार पर यह पता चलता है कि नगरीय क्षेत्र के निवासी होने के कारण औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने की संभावना बढ़ जाती है। यह ग्रामीण भारत में उचित व्यवसायिक प्रशिक्षण के सुविधाओं में कमी का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त पुरुष होने के कारण व्यवसायिक प्रशिक्षण में भाग लेने की संभावना बढ़ जाती है इसका निहितार्थ यह हुआ कि बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति तथा बिना किसी प्रकार के प्रशिक्षण वाले व्यक्ति की तुलना में समग्र अर्थव्यवस्था में वेतन में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसका प्रभाव प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक पडता है जहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों के पारिश्रमिक में 36.90 प्रतिशत वृद्धि पायी गयी। द्वितीयक क्षेत्र में औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण वाले श्रमिकों के मजदूरी में 17.60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी पायी गयी, इसका स्पष्ट निहितार्थ यह है कि औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं।

सिंह वी० एवं माहोरे एस० एल० (2018), ने 'भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं मुद्दे: नागपुर का एक केस स्टडी' शीर्षक के अन्तर्गत अपने शोध अध्ययन को सम्पादित किया। इस शोध का उद्देश्य नागपुर जनपद के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं मुद्दों तथा उनके द्वारा प्रदान किये जा रहे कौशलों का परीक्षण करना था। इस अध्ययन की परिकल्पनाएँ इस प्रकार निर्मित की गयीं थीं— 1. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की कक्षा-कक्ष सुविधाएँ निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हैं। 2. उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप संस्थानों द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण या औद्योगिक प्रशिक्षण के गुणवत्ता में सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। शोधकर्ताओं ने नागपुर जनपद के 14 आई० टी० आई० संस्थानों के 139 प्रशिक्षणार्थियों से ऑकड़ों का संकलन किया। संकलित प्रदत्तों का एस० पी० एस० एस० के द्वारा विश्लेषण के उपरान्त निम्न परिणाम प्राप्त किया गया— (1.) .95 सार्थकता स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के कक्षागत सुविधाएँ एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों में सार्थक संबन्ध पाया गया। (2.) .95 सार्थकता स्तर पर संस्थानों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता व उभरती प्रवृत्तियों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता व उभरती प्रवृत्तियों में सार्थक सम्बन्ध पाया गया।

कौशिक के० (2014), ने अपने शोधपरक निबन्ध 'भारत में व्यावसायिक शिक्षा' में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार भारत में व्यावसायिक शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याएँ अगांकित हैं— 1. माध्यमिक स्तर पर उच्च अवरोधन। 2. कक्षा 11वीं से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारम्भ होना। 3. व्यावसायिक शिक्षा में उद्योगों एवं निजी क्षेत्र की न्यून प्रतिभागिता। 4. कुशल एवं दक्ष अनुदेशकों की कमी। 5. व्यावसायिक शिक्षा के अधिकांश कार्यक्रम तथा उसके पाठ्यक्रम आउटडेटेड हैं तथा बाजार की आवश्यकताओं की संतुष्ट करने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। 6. विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समय, लक्षित समुह, प्रवेश योग्यता, परीक्षण एवं मूल्यांकन तथा प्रमाणन में पर्याप्त विभिन्नता दिखाई पड़ता है जिसके कारण उनके मान्यता के पहचान में कठिनाई आती है। लेखक ने व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव ज्ञापित किया है जिनमें नेशनल वोकेशनल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क की स्थापना है प्रमुख है।

विवेचना:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं सदी के विद्यार्थियों के आकांक्षाओं, लक्ष्यों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर वर्तमान शिक्षा प्रणाली के शैक्षिक संरचना, प्रबन्धन, प्रशासन एवं विनियमन सहित अन्य पहलुओं में संशोधन एवं सुधार का प्रस्ताव करती है। एन० ई० पी० 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम पचाश प्रतिशत शिक्षार्थियों को विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की गयी है कि वह कम से कम एक पेशा जरूर सीखे तथा कई अन्य व्यवसायों से परिचित भी हो। एन० ई० पी० 2020 में कहा गया है कि व्यावसायिक व सामान्य शैक्षिक धाराओं में कोई कठोर



अलगाव नही होगा। विद्यार्थियों को वर्ष में दस दिन बैगलेस दिन प्रदान किये जायेंगे जिसमें वह अपने पसन्द के व्यवसाय में प्रशिक्षित हो सकेगा। इसकी संपूर्ति कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक व्यावसायिक अधिगम से हो सकेगी। कक्षा छठवीं से आठवीं तक के प्रत्येक शिक्षार्थी को विभिन्न व्यावसायिक शिल्पों की हैंड्स ऑन अनुभव फॉन कोर्स (Fun Course) के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। स्पोक एवं हब मॉडल के अनुसार कौशल प्रयोगशालाओं (Skill Labs) की स्थापना की जायेगी जिसका उपयोग आस-पास के विद्यालयों के बच्चों भी कर पायेंगे। अध्ययन के मध्य में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान के लिए राष्ट्रीय कौशल ढाँचें के तहत विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को फिर से जोड़ा जायेगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जा रहे बैचलर इन वोकेशन (वी0 वोक0) कार्यक्रम का विस्तार किया जाना है जिसको क्रेडिट आधारित ढाँचा सामान्य व व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता को बेहतर बनाएगा। माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) प्रत्येक शिक्षार्थी कम से कम एक व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, यदि कोई विद्यार्थी रुचि प्रदर्शित करे तो उसको एक से अधिक व्यवसायों का प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि विद्यालय तथा विद्यालय संकुलों में पर्याप्त संख्या में विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों की नियुक्ति के साथ ही विभिन्न विषयों के लिए स्थानीय स्तर के विशेषज्ञ व्यक्ति को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। जिससे स्थानीय उद्यमिता, परम्परागत कलाओं, विशिष्ट शिल्पों, कृषि या स्थानीय विशिष्टता युक्त कोई अन्य विषयों के ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा से संबन्धित प्रस्तावित कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं—

- सामान्य तथा व्यावसायिक शैक्षिक धाराओं के लिए कला और विज्ञान तथा पाठ्यचर्यागत एवं अतिरिक्त पाठ्येत्तर क्रियाओं में कठोर अन्तर या अलगाव नहीं है।
- माध्यमिक स्तर पर चार वर्षीय बहुविषयक अध्ययन प्रदान किया जायेगा। दसवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी पिछली कक्षाओं में प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन अगली कक्षाओं (कक्षा 11वीं एवं 12वीं तक) में जारी रखे या किसी अन्य उपलब्ध कार्यक्रम में प्रवेश ले।
- माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा, शिल्प व कलाओं तथा व्यावसायिक कौशलों आदि विषयों के चयन के विकल्प को अधिक लचीलापन बनाया जायेगा। इस प्रकार वह स्वरुचि के अनुरूप अपने भावी अध्ययन मार्ग एवं जीवन की योजनाओं का निर्धारण कर सकेंगे।
- व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की सामान्य शिक्षा के साथ चरणबद्ध ढंग से एकीकृत किया जायेगा जिससे कि मिडिल तथा हाई स्कूल के स्तर पर वोकेशनल एक्सपोजर हो सके।

- व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को एकीकरण के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान को सुलभ बनाया जायेगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विभिन्न प्रतिमानों (मॉडल्स) का प्रयोग किया जायेगा।
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उद्योगों की भागीदारी से उद्भवन केन्द्र (Incubation Centers) स्थापित किये जायेंगे।
- प्रत्येक व्यावसायिक अनुशासन एवं पेशे के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) को आगे और अधिक विस्तारित किया जायेगा।
- क्रेडिट आधारित फ्रेमवर्क सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता को सुविधायुक्त बनाने में सहायता प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा से संबन्धित नीतिगत परिवर्तन एवं सुधारों के प्रस्तावों का यदि गहन विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ एक सुधारों को छोड़कर इसमें कुछ भी नया नहीं है। परिवर्तित शब्दावली में पूर्व के व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्तावों एवं अभिलक्षणों को ही दुहराया गया है। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा पिछली सदी में ही माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने का सुझाव दिया गया था। हर्टाग समिति (1927-29) द्वारा मिडिल तथा माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर वैकल्पिक जीवनोपयोगी व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के समावेश की सिफारिश की थी। वुड-एवट रिपोर्ट का द्वितीय भाग तो व्यावसायिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूझावों से भरा पड़ा है। बेसिक शिक्षा में भी सात से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के साथ हस्त कौशल व शिल्पाधारित शिक्षा प्रदान की जाती रही है। इसमें तो एक कदम आगे चलकर विद्यालयों में होने वाले उत्पादन से ही शिक्षकों के वेतन आदि की व्यवस्था की गयी थी। कुल मिलाकर इसमें शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं स्वालम्बी बनाने का उद्देश्य निहित था। परन्तु यह तथ्य विचार करने योग्य है कि इतनी आर्दशपरक होते हुए भी यह शिक्षा पद्धति क्यों असफल हो गयी? सार्जेंट योजना में भी व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुव्यवस्थित, महत्वपूर्ण एवं अत्यन्त उपयोगी योजना प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु तत्कालीन तीव्र परिवर्तनशील परिस्थितियों में यह योजना भी धरी रह गयी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देश्यीय विद्यालयों में बदलने तथा इन विद्यालयों में एक साथ अनेक हस्तकौशलों व व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। कुल मिलाकर 2000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देश्यीय विद्यालयों में बदला गया। चतुर्थ व पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में इनका सुधार किया गया। परन्तु इन विद्यालयों को शुरू करने का कुछ भी लाभ नहीं हुआ अपितु धन, समय व शक्ति का ही अपव्यय हुआ। कोठारी आयोग ने मैट्रीकुलेशन स्तर पर कार्यानुभव तथा +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968



में इसे सिद्धान्तः मान लिया गया था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसको अनुमोदित कर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा 1988 में ही यह योजना प्रारम्भ कर दी गयी। केन्द्र की सरकार ने इण्टरमीडिएट स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देनी प्रारम्भ कर दिया। इसके साथ ही इस स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धी नीति निश्चित करने एवं दिशा निर्देशन हेतु संयुक्त व्यवसायिक शिक्षा परिषद (NSQF) का गठन किया। माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या व्यवसायिक अनुदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इस व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत ही विविधतापूर्ण एवं अतिव्यापक बनाये गये थे। इनमें प्रिंटिंग एवं मुद्रण, रेडियो एवं रंगीन टीवी, खातावही एवं अंकेक्षण, ऑटोमोबाइल, टंकण, शार्ट हैण्ड टाइपिंग, शिशु परिचर्या एवं शिक्षा, फैशन डिजाइनिंग, पैथोलॉजी लैब तकनीकी, फल एवं खाद्य संरक्षण, पुस्तकालय विज्ञान, धातु शिल्प, कम्प्यूटर तकनीकी एवं अनुरक्षण, स्वस्थ देखभाल, एम्ब्रायोडरी, कुकरी, परिधान एवं सजावट, बेकिंग एवं कनफेक्शनरी आदि समावेशित हैं। एन0 ई0 पी0 1986 की कार्ययोजना में 1995 तक 25 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु खेद एवं विडम्बना विषय यह है कि 1995 तक इस धारा में मात्र 2.56 विद्यार्थियों को ही लाया जा सका। वर्तमान समय में भी ना मात्र के विद्यार्थी इस धारा की शिक्षा में नामांकित हैं तथा इनकी कार्यशालाएँ व प्रयोगशालाएँ धूल खा रही हैं। उदासीनता एवं उपेक्षा के कारण से अति उपयोगी एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा की यह धारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। सी0 बी0 एस0 ई0 द्वारा +2 स्तर पर प्रारम्भ किये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का सार्थक परिणाम सामने आये हैं। भारत की सरकार द्वारा 2015 में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का कोई विशेष प्रभावी परिणाम नहीं निकल कर आया है। इस मिशन द्वारा प्रदान किये जा रहे विभिन्न व्यवसायों के कौशलों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता का स्तर निम्न कोटि का रहा है। कौशलों के प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुदेशकों में अपने व्यवसाय से सम्बन्धित मुलभूत ज्ञान का अभाव पाया गया है। ग्रामीण अंचलों में इनकी स्थिति और भी चिंताजनक है। इन क्षेत्रों में अधिकांश कौशल विकास केन्द्र प्रायः बन्द ही पाये जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विगत काल की व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली तथा इनसे सम्बन्धित नीतियाँ व कार्यक्रम मात्र निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं अपितु आज के भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास एवं सकल घरेलू उत्पादन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्ही व्यावसायिक संस्थानों ने ही विगत में भारत एवं विश्व के अन्य देशों को कुशल एवं दक्ष कार्मिकों को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि उपर्युक्त वर्णित कमियों के निराकरण कर दिया गया होता तो परिणाम और भी बेहतर आते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा से संबन्धित नीतिगत परिवर्तन की जो बात कही गयी है, इसके लिए बेहतर तो यही होता कि पहले से चली आ रही व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अधिक प्रासंगिक, सृजनात्मक, समावेशी एवं अधिक गुणवत्तायुक्त बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। कक्षा छठवीं से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत अमनोवैज्ञानिक, बोझिल तथा नन्हे बालकों के प्रति अन्याय है, बेसिक शिक्षा का उदाहरण भी हमारे



सम्मुख है। एन0 ई0 पी0 2020 में प्रकल्पित व्यावसायिक शिक्षा से संबन्धित नीतियों व कार्यक्रमों के सफलता के मार्ग में निम्न चुनौतियाँ भी हैं—

- विशेष रूप से मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से कुशल शिक्षकों का अभाव है, अतः इसके लिए पर्याप्त कुशल शिक्षकों की आवश्यकता है।
- विद्यालय स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम खण्डित एवं असंबद्ध है। व्यवसायों से सम्बंधित मात्र प्रारम्भिक परिचयात्मक विषयवस्तु उपलब्ध है। सम्यक् एवं विस्तृत पाठ्यक्रम का अभाव है। जिससे विद्यार्थियों को इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन में अरुचि होती है। अतः इसका सम्यक समाधान करना आवश्यक है।
- प्रायः व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की तुलना में निम्न कोटि का माना जाता है। ऐसी धारणा में परिवर्तन लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की अप्रासंगिकता के कारण श्रम बाजार की आवश्यकता तथा प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल के मध्य रिक्ति व असाम्य हो जाता है जिसको सही करने की आवश्यकता है।
- व्यवसायिक धारा में न्यून नामांकन एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको जागरूकता, प्रचार—प्रसार, परामर्श एवं विज्ञापन की मदद से बढ़ाना होगा।

एन0 ई0 पी0 2020 के नीतिगत प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपने मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करना होगा, यह निश्चित रूप से व्यवसायिक शिक्षा के तीव्र विकास का कारण बन सकता है। इस प्रावधान से वर्तमान तथा आने वाले दशक में बहुत बड़ी संख्या में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा संभावित प्रशिक्षण प्रदाताओं की मदद से लाखों विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध होने की संभावना है।

निष्कर्ष:

भारत के व्यवसायिक शिक्षा के कमजोर अंगों व कड़ियों का निदान एवं उपचार अपरिहार्य है, अन्यथा की स्थिति में इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। वर्तमान उद्योग जगत् एवं श्रम बाजार के मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण अद्यतन कौशलों एवं दक्षता से युक्त कार्मिकों की पूर्ति ही व्यवसायिक शिक्षा की प्रासंगिकता एवं चुनौती है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एन0 ई0 पी0 2020 में निर्धारित व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. Ahmed M. (2022), Vocational Education in the Light of NEP 2020. Kashmir Reader. Published on 04-10-2022
- [2]. Jeyaraman A. K. (2020), Significance of Vocational Education in India. International Education & Research Journal. 6(2): 31-32
- [3]. Kaushik K. (2014), Vocational Education in India. IJEIS. 4(1): 55-58.
- [4]. Kumar S. at. Al. (2019), Vocational training in India: determinants of participation and effect on wages. Emorical res voc Ed Train. 11(3): <https://doi.org/10.1186/s40461-019-0078-y>
- [5]. Pilz M. & Regel J. (2021), Vocational Education and Training in India: Prospects and Challenges from an outside Prospective. The Journal of Applied Economics Research. 15(1): 101-121. DOI; 10.1177/0973801020976606
- [6]. Singh V. and Mohare S. L. (2018), Present Situation and Issues of Vocational Education in India: A Case study of Nagpur. JASRAE. 15(7): 49-53. www.ignited.in
- [7]. गुप्ता एस0 पी0 (2008), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन ।
- [8]. पाठक पी0 डी0 (2010), भारतीय शिक्षा व उसकी समस्याएं, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर ।
- [9]. पाण्डेय आर0 एस0 (2001), शैक्षिक निबंध, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर ।
- [10]. लाल एवं शर्मा (2011), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास व समस्याएँ, मेरठ: आर0 लाल बुक डिपो ।
- [11]. सुखिया एस0 पी0 (2012), विद्यालय प्रशासन, संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स ।